न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—731/2020 दायर दिनांक 16.07.2020

जीसीएमएस आई0डी0:—2020/00215

1. संतोष पुत्र सोनजी
2. संतरा पुत्री सोनजी
3. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
4. रामवतार पुत्र रतनलाल
5. लच्छो पत्नि रतनलाल

जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायलान—05

बनाम

1. गोविन्द पुत्र कल्याण
2. नंदराम पुत्र कल्याण

जाति जाट निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान——05

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान

2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 8-५-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि खसरा न0 286 रकबा 17 ऐयर, खसरा न0 1339 रकबा 45 ऐयर, खसरा न0 1346 रकबा 56 ऐयर, 1473 रकबा 60 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है० ग्राम खेडीहैवत तहत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में स्थित है जा कि सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नः 2 प्रार्थनापत्र में सायलान 1 व 2 हिस्सा 1/2 वहिरसा वरावर तथा सायलान 3 ता 5 हिस्सा 1/2 वहिस्सा वरावर के संयुक्त खातेदार व कास्तकार है और उपरीका आराजीयात पर सयुक्त रूप से काबिज व दखिल होकर कांरत करते चले आ रहे हे जिस्को गैरायलान न० 1 ता 2 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान नं० 1 ता 4 लडाकू व बदमास किस्म के मार्शल कौम के व्यक्ति है जो गरीब कास्तकारों कि भूमि पर जबरण कब्जा कर उसे हडपने के प्रयास में रहते है तथा उनकी नियत सायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा न० 1339 रकबा 45 ऐ० को हडपने की रही है जिसके लिए गैरसायलान न० 1 ता 2 आये दिन सावलान को हैरान व परेशान कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:50 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनाँक 02.07.2020 को सायलान आराजीयात मुतजिक्रा मद न० 2 प्रार्थना पत्र पर बुबाई हेतु दिन के करीब 10 बजे के आस पास गये तो वहीं पर

गैरसायलान न० 1 ता 2 अपने हमराहीयो सहित मौके पर आ गये और सायलान से कहा कि खसरा न0 1339 की भूमि पर जुताई बुबाई मत करना इस पर हम बुवाई करेगें तो सावलान ने कहा कि ये जमीन तो हमारे खातेदारी व कब्जे कास्त की है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो इतना सुनते ही गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और सायलान को यह ऐलानिया धमकी दी कि अगर तुमने इस जमीन पर बुबाई कि तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड देगें तुम्हें भूमि से जबरण लठठ के बल पर बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेगें । भूमि को नाकाबिल कास्त बना देंगें। गैरसायलान समझाने पर भी मानने को तैयार नही है। इसलिए सायलान का प्रथम द्रष्टया केस बखूबी सावित है। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगीं। सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में वखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से से पावन्द फरमाया जावे कि यह स्वय या किसी अन्य के द्वारा सायलान की खातेदारी व कब्जे कास्त कि भूमि खसरा न0 1339 रकबा 45 ऐ० स्थित ग्राम खेडीहैवत तहत तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे कास्त में कोई मजामहत मदाखलत नही करे तथा सायलान को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें और ना किसी अन्य से करावे और ऐसा कोइ कार्य नही करे, जिससे सायलान के उपरोकत आराजी में उनके हक हकूको को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे। सायलान को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपभोग करने देवें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 26.02.2021 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 675 वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में सायलान वकील की बहस [illegible] तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन [illegible] वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से

से पावन्द फरमाया जावे कि यह स्वय या किसी अन्य के द्वारा सायलान की खातेदारी व कब्जे कास्त कि भूमि खसरा न0 1339 रकबा 45 ऐ० स्थित ग्राम खेडीहैवत तहत तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे कास्त में कोई मजामहत मदाखलत नही करे तथा सायलान को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें और ना किसी अन्य से करावे और ऐसा कोइ कार्य नही करे, जिससे सायलान के उपरोकत आराजी में उनके हक हकूको को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे। सायलान को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपभोग करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नकल जमाबंदी 2073–76 खाता संख्या 675 वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य रूप के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 8-4-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:50 IST
Reason: SelfAttested

8/4/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन